

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3567/2024

नरपत सुरेला पुत्र किशोरी लाल सुरेला, उम्र लगभग 29 वर्ष, पता कुम्हारों का मोहल्ला, तहसील बानसूर, अलवर (राजस्थान)-301402।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं अन्य के माध्यम से।

----उत्तरदाता

संबंधित

1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3326/2024
2. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3568/2024
3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3708/2024
4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3724/2024
5. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4205/2024
6. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4300/2024
7. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5289/2024
8. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5480/2024
9. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5684/2024
10. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5744/2024

11. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5995/2024
 12. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17601/2024
 13. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17602/2024
 14. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17603/2024
-

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह,
श्री सुखदेव सिंह सोलंकी,
श्री विश्वनाथ करण राठौड़,
श्री सत्य प्रकाश शर्मा,
श्री अरविंद राणा,
श्री आर.बी. शर्मा, गेंथोला

उत्तरदाताओं के लिए : श्री भरत व्यास, एएजी के साथ
सुश्री नीति जैन भंडारी,
श्री प्रवीर शर्मा और
श्री हर्ष वर्धन कटारा,
श्री अर्चित बोहरा, एजीसी
श्री अखिल सिमलोटे के साथ
श्री अश्विनी राज तंवर और
श्री दीक्षांत जैन,
श्री प्रतीक माथुर,
श्री राजेंद्र कुमार सालेचा के साथ
सुश्री तनीषा खुबचंदानी,
श्री हितेश कुमार,
श्री अभिनव श्रीवास्तव और

श्री निखिल कुमावत,
श्री रघु नंदन शर्मा,
श्री संदीप पाठक
सुश्री जया पाठक और
श्री अक्षत शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन
निर्णय

समाचार-योग्य

आरक्षित तिथि: 17/10/2024 और 27.11.2024

उच्चारण तिथि: 20/12/2024

पार्ट्स	अंतर्वस्तु
क	प्रस्तावना टिप्पणियाँ
ख	प्रासंगिक कानून, नियम और अधिनियम
ग	तथ्यात्मक वर्णन और पृष्ठभूमि
घ	याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ
च	उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ ई.1 उत्तरदाता-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ। ई.2 उत्तरदाता-आर.एस.पी.सी.बी. का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ ई.3 उत्तरदाता-आईबीपीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ। ई.4 उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ - चयनित उम्मीदवार जो हस्तक्षेपकर्ता के रूप में उपस्थित हुए

छ	मुद्दे और निर्धारण के बिंदु
ज	एनोटेशन
झ	चर्चाएँ और निष्कर्ष सहायक निष्कर्ष
ट	निष्कर्ष
ठ	दिशा-निर्देश

क. प्रस्तावना टिप्पणियाँ

1. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाओं का वर्तमान समूह विधि और तथ्य के सामान्य प्रश्नों पर न्यायनिर्णयन की मांग करता है; सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **3567/2024**, जिसका शीर्षक नरपत सुरेला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, को मुख्य याचिका के रूप में लिया जा रहा है। यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्णय यथावश्यक परिवर्तनों के आधार पर इससे/इसके बाद संबंधित सभी याचिकाओं पर लागू होगा।

ख. प्रासंगिक कानून, नियम और अधिनियम

अधिनियम, कानून या नियम	अन्य बातों के साथ-साथ प्रासंगिक प्रावधान
भारत का संविधान	अनुच्छेद 14, 16, 21, 309, 311
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	धारा 8(1)(डी), 11
राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012	धारा 3, 31

राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम और विनियम, 1993	नियम 2(बी), 2(एफ), 6, 18, 25
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974	धारा 4(एफ), 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 50, 62, 64
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	धारा 54
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1988 और राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004	धारा 3 और 39

ग. तथ्यात्मक वर्णन और पृष्ठभूमि

2. प्रतिवादियों ने दिनांक 05.10.2023 के विज्ञापन के माध्यम से जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी (जे.एस.ओ.), जूनियर पर्यावरण अभियंता (जे.ई.ई.) और विधि अधिकारी- II (एल.ओ-II) के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। इसके बाद, प्रतिवादियों ने आवेदकों के लिए दिनांक 18.12.2023 को एक विज्ञापि, दिनांक 01.02.2024 का शुद्धिपत्र और सूचना दिशानिर्देश जारी किए। उक्त परीक्षा (जेएसओ के लिए) 09.01.2024 को निर्धारित की गई थी। इसके बाद, जेएसओ पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित उम्मीदवारों की अनंतिम सूची 23.02.2024 को जारी की गई (अन्य पदों के लिए अनंतिम सूची 22.02.2024 और 24.02.2024 के बीच जारी की गई)। उक्त सूची में उत्तरदाताओं ने श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं, अर्थात् सामान्य-यूआर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एस.टी., बी.सी. और एम.बी.सी. के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों जैसी श्रेणियों के संबंध में क्षैतिज कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं।

3. इस याचिका से उत्पन्न विवाद तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ताओं को अनंतिम सूची में अपना नाम नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें प्रश्न पुस्तिका नहीं मिली क्योंकि उक्त परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी और न ही प्रतिवादियों द्वारा कोई मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। इसलिए, उक्त परीक्षा पक्षपातपूर्ण, अनुचित और कानून के स्थापित प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अपारदर्शी तरीके से आयोजित की गई बताई जा रही है।

घ. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ

4. आरंभ में, विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि घटनाओं की समय-सीमा इस बात को उचित ठहराती है कि वाद का कारण अनंतिम परिणामों की घोषणा और दस्तावेज़ सत्यापन आदेश जारी होने के बाद उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ताओं को यह उचित उम्मीद थी कि प्रतिवादी स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, लेकिन जब उनका पालन नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी देरी के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के समक्ष अपनी शिकायतें उठाई हैं, ईमेल के माध्यम से (दिनांक 26.02.2024) एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी संख्या 01, 02 और 03 के कार्यालय भी गए हैं। हालाँकि, प्रतिवादियों द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और "प्रश्न के संबंध में आपकी शिकायत नोट कर ली गई है" कहकर एक सतही उत्तर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं का स्कोर कार्ड जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता नरपत सुरेला ने अधिकतम अंकों में से 115 अंक प्राप्त किए थे। फिर भी, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के अनुसार, उन्हें अधिक अंक प्राप्त करने का अधिकार था।

6. इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादियों ने परीक्षा की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और आपत्तियां उठाने का अवसर दिए बिना; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अनुस्मारक की अनदेखी करते हुए उक्त चयन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।

7. इस शुरुआती मोड़ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा जताया है। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें से कुछ हैं: रिशाल बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य (2018) 8 एस.सी.सी 81 में दर्ज, मीता सहाय बनाम बिहार राज्य व अन्य, सिविल अपील संख्या 9482/2019 के रूप में पंजीकृत, रामजीत सिंह कर्दम व अन्य बनाम संजीव कुमार व अन्य, सिविल अपील संख्या 2103/2020 के रूप में पंजीकृत, हरकीरत सिंह घुमन बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय व अन्य, ए.आई.आर 2022 एससी 4060 में दर्ज और कानपुर विश्वविद्यालय, कुलपति व अन्य बनाम समीर गुप्ता व अन्य, 1983 ए.आई.आर एस.सी 1230 में दर्ज।

8. उपर्युक्त तर्कों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया कि सार्वजनिक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, हमेशा ओएमआर उत्तर पत्रक का प्रावधान होना चाहिए, जो परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पुस्तिका की एक प्रति के साथ अभ्यर्थी को सौंप दिया जाना चाहिए। उसके बाद, अनंतिम/मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए और आपत्तियाँ आमंत्रित की जानी चाहिए; साथ ही, उक्त आपत्तियों के उत्तर/प्रतिक्रियाएँ, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा, निर्धारित अवधि के भीतर उचित औचित्य के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और उक्त प्रक्रिया का

विधिवत पालन करने के बाद ही अभ्यर्थी की अंतिम अंकतालिका/मेरिट सूची जारी की जानी चाहिए। आगे यह भी तर्क दिया गया कि किसी भी सार्वजनिक भर्ती के लिए पारदर्शिता, अभ्यर्थियों का स्व-मूल्यांकन और निष्पक्षता आवश्यक है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और 311 के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एमएनआईटी (सरकारी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज) जैसे परीक्षा संचालन प्राधिकारियों की नियुक्ति को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिन्होंने पूर्ववर्ती भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया था और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (जिसे आगे आईबीपीएस कहा जाएगा) की सहायता से उक्त भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दबाजी में निर्धारित और संपन्न किया। इसके अलावा, प्रतिवादियों की कानून में द्वेष और अनियमितताओं की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि प्रतिवादियों ने, इस तथ्य के बावजूद कि आरएसपीसीबी एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और उन पर आरटीआई अधिनियम लागू होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे आरटीआई अधिनियम कहा जाएगा) और राजस्थान लोक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (जिसे आगे आरटीपीपी अधिनियम कहा जाएगा) के प्रावधानों की अवहेलना की। सुविधा के लिए, भारत के संविधान का प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें- इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकेंगे:

परन्तु संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए तब तक सक्षम होगा जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

10. इसी प्रकार, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आईबीपीएस की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है, इसलिए प्रतिवादियों के उक्त कृत्य से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं जिनके आधार पर किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की परीक्षा को निष्पक्ष माना जा सकता है:

10.1 प्रश्न पुस्तिकाओं का प्रकटीकरण/अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिकाएं साथ ले जाने की अनुमति।

10.2 मॉडल उत्तर कुंजी का प्रकाशन।

10.3 अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित करना।

10.4 आपत्तियों के समाधान हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन।

10.5 समझौता ज्ञापन का निष्पादन (जिसे आगे एमओयू कहा जाएगा)

11. हालांकि, इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और आरटीपीपी अधिनियम, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1993 के नियम आदि के प्रावधानों को दरकिनार कर दिया गया। विद्वान वकील ने इस न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि यह केवल

प्रतिवादियों द्वारा तत्काल याचिकाओं का उत्तर देते समय याचिकाकर्ताओं के ज्ञान में लाया गया था कि प्रतिवादी-प्राधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन 04.10.2023 (उक्त विज्ञापन जारी होने से एक दिन पहले) को प्रभावी हुआ था, जिसके द्वारा प्रतिवादी-आईबीपीएस को उक्त परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया था। फिर भी, उक्त समझौता ज्ञापन को सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही उक्त प्रावधान को उक्त विज्ञापन में शामिल किया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किए गए आवेदन पत्रों में कोई यूआरएल नहीं है

12. यह भी तर्क दिया गया कि केवल असाधारण और आकस्मिक परिस्थितियों में ही आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31 (एच) के प्रावधानों को एकल स्रोत खरीद के रूप में लागू किया जा सकता है, हालांकि, यहां प्रतिवादी आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31 (एच) के अनुसार एकल स्रोत खरीद को अपनाने के लिए ऐसी किसी भी असाधारण परिस्थितियों को उचित ठहराने में विफल रहे हैं।

13. लगातार यह तर्क दिया गया कि स्वीकृति, छूट और विबंधन के सिद्धांत याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे क्योंकि किसी भी परीक्षा/चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, फिर भी, परीक्षा में असफलता किसी अभ्यर्थी को उक्त भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने से नहीं रोक सकती।

14. यद्यपि राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम और विनियम, 1993 (जिसे आगे नियम और विनियम 1993 कहा जाएगा) के प्रावधान मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने, आपत्तियां आमंत्रित करने या विशेषज्ञ समिति के गठन/निर्माण पर रोक नहीं लगाते हैं, फिर भी प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि कानून में द्वेष और तथ्यों में द्वेष के बीच अंतर है। जब कानून में द्वेष

का उल्लेख किया जाता है तो किसी के खिलाफ दुर्भावना के कोई स्पष्ट आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी का कर्तव्य है।

15. फिर भी, आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए सेवा नियमों के तहत ही भर्ती करने तक सीमित हैं और प्रतिवादियों द्वारा इसकी पुष्टि के लिए कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में, यह तर्क दिया गया कि उक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि यह संघ या राज्य में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित है और किसी लोक सेवा आयोग को किसी भी वैधानिक स्वायत्त निकाय के लिए परीक्षा आयोजित करने से नहीं रोकता है, जिस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण है।

च. उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ

च.1 उत्तरदाता-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ

16. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले के प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक प्राथमिक पहलू यह है कि बोर्ड ने संयुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (जेएसओ) के रिक्त पदों (59) और संयुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (जेईई) के 53 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। हालाँकि, कुल 85 पदों में से केवल 26 संयुक्त वैज्ञानिक अधिकारी ही इन पदों पर कार्यरत थे और इसी प्रकार संयुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (जेईई) के 88 पद भरे जा सके। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा

सकता है कि याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं (याचिकाकर्ता नरपत सुरेला ने न्यूनतम कट-ऑफ अंकों से लगभग 38 अंक कम प्राप्त किए)।

17. इस प्रारंभिक चरण में, विद्वान ए.ए.जी. ने यह प्रतिपादित किया था कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एक स्वायत्त निकाय के रूप में) की स्थापना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जिसे आगे 1974 का अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत 07.02.1975 को हुई थी। राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम लागू हुए (30.03.1993 को राजपत्र में प्रकाशित)। तत्पश्चात, राजस्थान राज पत्र में दिनांक 01.04.2010, 21.06.2012, 06.09.2013, 08.08.2014, 18.01.2016, 23.10.2019, 17.01.2023 एवं 21.08.2023 को प्रकाशित अधिसूचनाओं के माध्यम से 1993 के नियम एवं विनियम में संशोधन किया गया।

18. इसके अतिरिक्त, 22.10.2020 को आयोजित 147 वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1974 के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सदस्य सचिव को छोड़कर, अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की केंद्रीय या राज्य बोर्ड की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। यह भी कहा गया कि 1993 के नियमों और विनियमों के नियम 18 के प्रावधानों, अर्थात् सीधी भर्ती की प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किया गया है।

19. परिणामस्वरूप, बोर्ड ने पत्र संख्या 1471 दिनांक 31.07.2023 द्वारा राज्य से रिक्त सीटों को भरने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उक्त प्रस्ताव को एक डमी फ़ाइल के साथ अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं।

20. इसके बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ - नई दिल्ली ने 24.10.2023 के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लिया और तदनुसार एक स्वतः संज्ञान दर्ज किया गया। उसमें, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 22.11.2023 को एक रिपोर्ट दायर की जिसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि देश भर के सभी पीसीबी में कर्मचारियों की कमी है। उपरोक्त मामले में एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपलब्ध स्वीकृत पदों की कुल संख्या और विधिवत रूप से संचालित पदों को रेखांकित किया गया था। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आरएसपीसीबी को 808 पदों की मंजूरी है, जिसके विरुद्ध केवल 330 पद ही विधिवत भरे गए थे, कुल 470 पद रिक्त थे। इसके बाद, दिनांक 24.04.2024 के आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार के समक्ष प्रस्तुत चार्ट पर विचार किया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पीसीबी में रिक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया था तत्पश्चात 22.04.2024 से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया (अनुलग्नक- आरए/2 और आरए/3)।

21. इसके अलावा, विद्वान एएजी ने तर्क दिया था कि उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन फॉर्म प्रतिवादी-आईबीपीएस द्वारा डिजाइन किया गया था और समझौता ज्ञापन में क्रमांक 23 पर एक प्रकटीकरण खंड था जो उम्मीदवार के निर्देश पत्र पर आईबीपीएस के लोगो के प्रदर्शन की अनुमति देता था। फिर भी, बोर्ड केवल यूआरएल का होस्ट था और उक्त आवेदन पत्र प्रतिवादी-आईबीपीएस द्वारा डिजाइन और प्रबंधित किया गया था। इसके बाद परीक्षा निकाय प्रतिवादी-आईबीपीएस के विशेषज्ञों द्वारा सत्यापन के लिए आईबीपीएस पोर्टल पर अपलोड की गई प्रत्येक शिकायत को दूर करने में लगभग 45 दिन लगे। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी-आईबीपीएस ने

हमेशा अत्यधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्ती परीक्षाएं आयोजित की थीं, प्रतिवादी-आरएसपीसीबी ने प्रतिवादी-आईबीपीएस को शामिल किया।

22. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार और बोर्ड कार्यबल की कमी से अवगत थे और इसलिए, जे.एस.ओ., जे.ई.ई. और विधि अधिकारी ग्रेड II के पदों के संबंध में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर 114 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 59 पद जे.एस.ओ. के लिए, 53 पद जे.ई.ई. के लिए और 2 पद विधि अधिकारी ग्रेड II के लिए थे। उक्त परीक्षा 09.01.2024 को प्रतिवादी-आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की गई थी। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता बिना किसी आचरण के परीक्षा में उपस्थित हुए और इसलिए, आगे की कार्यवाही को चुनौती देने का उनका अधिकार स्वीकृति, छूट और विबंधन के सिद्धांतों के कारण समाप्त हो गया।

23. इसी प्रकार, आर.पी.एस.सी. 3600/- रुपये और इससे कम ग्रेड पे वाले पदों पर भर्ती नहीं कर सकता। हालाँकि, इस मामले में भर्ती प्रक्रिया एल-12 और एल-10 के वेतन बैंड में 4800/- रुपये से 3600/- रुपये तक के ग्रेड पे वाले 114 पदों के लिए थी। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, उक्त भर्ती प्रक्रिया न तो आर.पी.एस.सी. और न ही आर.एस.एस.बी. द्वारा संचालित की जा सकती थी। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा प्रख्यापित 1993 के नियमों और विनियमों में संबंधित पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, उक्त प्राधिकारियों के कैलेंडर और कार्यक्रम के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एम.एन.आई.टी. और आर.एस.एस.बी. उक्त अवधि में पहले से ही परीक्षाएं आयोजित कर रहे थे।

24. इस मोड़ पर, विद्वान एएजी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया था। दूसरों के बीच भरोसा किए गए कुछ

सिद्धांत थे दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2010) 2 एस.सी.सी 114 में रिपोर्ट किया गया, ताजवीर सिंह सोढ़ी और अन्य। बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। ए.आई.आर 2023 एस.सी 2014 में रिपोर्ट किया गया, भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार ने (2007) 8 एस.सी.सी 100 में रिपोर्ट की, डी. सरोजकुमारी बनाम आर. हेलोन थिलाकोम ने (2017) 9 एस.सी.सी 478 में रिपोर्ट की, अनुपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ने (2020) 2 एस.सी.सी 173 में रिपोर्ट की जम्मू और कश्मीर राज्य ने (1995) 3 एस.सी.सी 486 में रिपोर्ट दी।

च.2 उत्तरदाता -आर.एस.पी.सी.बी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ

25. प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि उक्त विज्ञापन की शर्त संख्या 11 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, उक्त परीक्षा पूरी होने पर याचिकाकर्ताओं के स्कोर कार्ड विधिवत जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 1:2 के अनुपात में बुलाया गया था और उसके लिए कट-ऑफ अंक अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अपलोड कर दिए गए थे। अतः, प्रतिवादियों द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है।

26. यह भी तर्क दिया गया कि दस्तावेज सत्यापन हेतु JSO की अनंतिम सूची 23.02.2024 को जारी की गई थी, जिसके तहत सभी टाई-केस उम्मीदवारों सहित लगभग दोगुने उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इसके बावजूद, बैंकिंग क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान के ऊर्जा विभाग (आर.वी.यू.एन.एल, आर.वी.पी.एन, जे.वी.वी.एन.एल, ए.वी.वी.एन.एल) में आयोजित परीक्षाओं में प्रतिवादी-आई.बी.पी.एस. के बेदाग रिकॉर्ड और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-बोर्ड जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा था, उसे परीक्षा संचालन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

27. यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी-बोर्ड एक स्वायत्त नियामक संस्था है, जिसके अपने सेवा नियम और विनियम 1993 हैं। ऐसे मामलों में, राजस्थान सरकार के दिनांक 31.03.2023 के परिपत्र (अनुलग्नक- R.A/6) के अनुसार, 01.04.2021 के बाद रिक्त होने वाले पद के लिए वित्त विभाग और राजस्थान सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, नियामक नियमों के अनुसार, बोर्ड द्वारा नियुक्त एजेंसी का चयन उसका विशेषाधिकार है। इसी प्रकार, समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी-आईबीपीएस द्वारा अपनाई गई मानक दिशानिर्देश और नीति उसके सभी ग्राहक संगठनों पर लागू होती है।

च.3 उत्तरदाता -आई.बी.पी.एस. का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ

28. आईबीपीएस की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि आईबीपीएस अर्थात बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंधित अधिकारियों द्वारा गठित एक संस्था है। इसके बाद, अप्रैल 1984 में, आईबीपीएस को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता दी गई। अपने पदाधिकारियों की सहायता के लिए, आईबीपीएस के पेरोल और पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें साइकोमेट्रिक्स, बैंकिंग, विविध इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि, हिंदी आदि शामिल हैं।

29. इसके साथ ही, आईबीपीएस पिछले चार दशकों से अपने ग्राहक संगठनों को उनकी भर्ती, पदोन्नति और नियुक्ति कार्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं और उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों के डिज़ाइन को अपनाकर, उत्तरों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करके, और परीक्षा परिणामों को शीघ्रता, सटीकता और गोपनीयता के साथ संसाधित करके सेवाएँ/सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, आईबीपीएस को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) नियम,

2017 के तहत परीक्षा आयोजित करने हेतु एक अनुमोदित एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है।

30. आईबीपीएस की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अनेक दलीलों में से कुछ यह थीं कि प्रतिवादी-आरएसपीसीबी ने तत्काल परीक्षा आयोजित करने और तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करके उसका संचालन करने के लिए आईबीपीएस की सेवाएँ लीं, क्योंकि उक्त परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी थी। नियामक प्रावधानों को नियमित करने और आम सहमति बनाने के लिए, दोनों पक्षों (आईबीपीएस और आरएसपीसीबी) द्वारा 04.10.2023 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और 'आईबीपीएस के मानक दिशानिर्देशों' के अनुरूप उक्त परीक्षा आयोजित की गई (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी संख्या 5289/2024 में अनुलग्नक-9)। समझौता ज्ञापन से उभरे महत्वपूर्ण बिंदु नीचे सारणीबद्ध हैं:

खंड संख्या	एम.ओ.यू. की आंतरिक पृष्ठ संख्या	मूलपाठ
3.5	6	आई.बी.पी.एस. की नीति के अनुसार, परीक्षा के दौरान ही परीक्षा-पत्र अभ्यर्थियों के अलावा किसी और को नहीं बताए जाते। परीक्षा के बाद भी, परीक्षा-पत्र किसी के साथ साझा नहीं किए जाते। किसी भी विवाद की स्थिति में, आई.बी.पी.एस., पीड़ित अभ्यर्थियों के क्रमवार उत्तर, यदि कोई हों, और उनके सही उत्तर उपलब्ध कराएगा।
3.8	8	यदि आर.एस.पी.सी.बी. को आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है, तो आई.बी.पी.एस. उत्तरों का डंप (उम्मीदवार द्वारा

		चिह्नित उत्तर/केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रश्नों के लिए सही उत्तर कुंजी) उपलब्ध कराएगा, ताकि आर.एस.पी.सी.बी. को उसका उत्तर देने में सुविधा हो।
--	--	--

31. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का उत्तर न मिलने के संदर्भ में दिए गए तर्कों के अनुसार, यह तर्क दिया गया कि भाग-ख खंड संख्या 11 के अंतर्गत उक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रतिवादी-आईबीपीएस और उनके पास संग्रहीत डेटा पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, आईबीपीएस विषय विशेषज्ञों से परामर्श करता है, प्रश्नपत्र तैयार करता है और प्रत्येक प्रश्नपत्र के संबंध में आदर्श उत्तर लेता है; इसलिए, ये मूल साहित्यिक कृतियाँ हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी-आईबीपीएस के पास इनका कॉपीराइट है।

32. विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एससीसी 173, भारत संघ और अन्य बनाम एस विनोद कुमार और अन्य (2007) 8 एससीसी 100 और चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला (2002) 6 एससीसी 127 में पारित निर्णयों पर भरोसा रखा था।

च.4 प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ- चयनित उम्मीदवार जो हस्तक्षेपकर्ता के रूप में उपस्थित हुए

33. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि उक्त परीक्षा आईबीपीएस द्वारा अत्यंत सावधानी और पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई थी। इसमें बायोमेट्रिक स्कैनिंग, आइरिस स्कैनर, ऑन-साइट फोटो कैप्चरिंग और मिलान जैसी नवीनतम तकनीकों और कोटा, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर जैसे सभी परीक्षा

केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी का उपयोग किया गया था। उक्त परीक्षा के सफल आयोजन और दस्तावेज सत्यापन के बाद, पात्र 96 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जो आज तक अपने-अपने तैनाती स्थल पर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

34. अपने कथनों का निष्कर्ष निकालते हुए, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उचित कारणों से आर.टी.पी.पी. अधिनियम की धारा 31(एच) के प्रावधानों का प्रयोग किया गया और एकल स्रोत से खरीद की गई; इसके अलावा, किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों के प्रयोग का कोई आरोप नहीं लगाया गया/नहीं लगाया गया है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त जाँच सबसे उपयुक्त तरीके से पूरी की गई।

छ. मुद्दे और निर्धारण के बिंदु

35. इस न्यायालय ने, दिन-प्रतिदिन की लंबी सुनवाई करने, सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने और उन पर विचार करने तथा वर्तमान याचिकाओं के अतिरिक्त हलफनामों सहित अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात्, यह महसूस किया है कि इस न्यायालय के लिए निम्नलिखित मुद्दे और/या निर्धारण बिंदु तैयार करना उचित होगा, जिन पर निर्णय देने से इस न्यायालय के समक्ष सूची में अनजाने में ही सन्नाटा छा जाएगा। इस न्यायालय के लिए निर्धारण के मुद्दे/बिंदु नीचे दिए गए हैं:

1) क्या बोर्ड को 1993 के नियमों के नियम 18 के अंतर्गत प्रतिवादी आईबीपीएस को परीक्षा संचालन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने और शक्तियाँ सौंपने का अधिकार था? क्या उक्त कार्रवाई वैध और कानूनी है?

- II) क्या प्रतिवादी-आई.बी.पी.एस. की नियुक्ति करके एकल स्रोत खरीद के लिए आर.टी.पी.पी. अधिनियम की धारा 31(एच) के तहत शक्तियों का उपयोग करना सही था?
- III) क्या दिनांक 04.10.2023 का समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से स्वीकार्य है?
- IV) क्या सीधी भर्ती की तत्काल चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी तरीके से संचालित की गई है, जिसमें कोई कानूनी दुर्भावना नहीं है?
- V) क्या याचिकाकर्ताओं को विबंधन, छूट और मौन स्वीकृति के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? क्या खेल के नियम बदले जा सकते हैं?

ज. एनोटेशन

36. ऊपर उल्लिखित मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, यह न्यायालय निम्नलिखित निर्विवाद तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:

36.1 प्रतिवादियों द्वारा 1993 के नियम और संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी दिनांक 05.10.2023 के विज्ञापन के माध्यम से, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी ग्रेड II के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती शुरू की गई थी। उक्त विज्ञापन में पात्रता मानदंड, रिक्तियों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दिए गए थे। पदों की संख्या से संबंधित प्रासंगिक जानकारी नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम संख्या	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल योग
1	विधि अधिकारी-द्वितीय (एल.ओ-II)	02	00	02
2	कनिष्ठ वैज्ञानिक	59	00	59

	अधिकारी (जे.एस.ओ)			
3	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (जे.ई.ई)	50	03	53

36.2 उक्त विज्ञापन में सभी अपेक्षित निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया है; उक्त विज्ञापन के खंड 11 में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उक्त परीक्षा प्रक्रिया पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। संबंधित दिशा-निर्देश और निर्देश नीचे पुनः दिए गए हैं:

"(7) आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मण्डल की वेबसाइट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को मण्डल द्वारा अनन्तिम रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अर्थाभिप्राय नहीं है कि मण्डल द्वारा उसकी उम्मीन्दवारी अन्तिम रूप से सही मानी गई है अथवा उम्मीन्दवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों मण्डल द्वारा सही मानी गई है। यदि किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित जानकारी असत्य पाई जाती है तो इस प्रविष्ट हेतु उम्मीन्दवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(8) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्दिष्ट निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षिक योग्यताओं से सम्बन्धित समस्त मानदण्ड / मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षिक योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) परीक्षार्थियों द्वारा ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(10) राज्य कर्मचारियों को दी जाने तथा आयु सीमा में छूट, आवश्यकता इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सरकार के कर्मचारी सामान्य वर्ग ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

(11) भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी प्रकार की सूचना भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

(12) यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व में मण्डल द्वारा की गई भर्ती के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विवादों के प्रकरणों में जारी किए जाने वाले आदेश / निर्णय के अधीन रहेगी।

36.3 उक्त परीक्षा/चयन प्रक्रिया के लिए, परिणाम 22.02.2024 और 24.02.2024 के मध्य जारी किए गए और तत्पश्चात, पात्र अभ्यर्थियों (लगभग 96) को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जो आज की तिथि में आवंटित तैनाती स्थल पर सेवाएं दे रहे हैं।

36.4 यह कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 के साथ पठित अधिनियम, 1974 की धारा 12 उपधारा 3 ए के प्रावधानों के अनुसार यह निर्विवाद है कि राज्य बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

“12. बोर्ड के सदस्य-सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी.-(1) सदस्य-सचिव की सेवा की शर्तें और निबंधन वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(2) सदस्य-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो समय-समय पर बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे।

(3क) केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के अधिकारियों (सदस्य-सचिव से भिन्न) और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा के निबंधन और शर्तें (वेतनमान सहित) ऐसी होंगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं: परंतु इस उपधारा के अधीन बनाया गया कोई विनियमन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि,— (क) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन की दशा में, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है; और (ख) राज्य बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन की दशा में, उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

36.5 1993 के नियम 2(बी), 2(एफ), 18(4) और 25 के संयुक्त वाचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती का एक तरीका 'सीधी भर्ती' होगा; जिसमें, बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना या समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से

विज्ञापन जारी करेगा। इस मामले में, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सूची भी "ऐसी रीति से, जैसा उचित समझा जाए" के प्रावधान के अंतर्गत भर्ती के उक्त तरीके के दायरे में आती है। सुविधा और सुविधा के लिए, परिभाषाओं के संबंध में उपर्युक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

2. परिभाषाएं: (ख) कार्यकारी पदों के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य "अध्यक्ष" से है और अधीनस्थ सेवा या अन्य अनुसचिवीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में इसका तात्पर्य सदस्य सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी से है, जिसे यह शक्ति, कुछ शर्तों के साथ, बोर्ड द्वारा पदों की कुछ श्रेणियों के संबंध में प्रत्यायोजित की जा सकती है।

(च) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-IV में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई भर्ती अभिप्रेत है।

6. भर्ती की पद्धतियां.-(1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में पदों पर भर्ती अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा की जाएगी:-

(क) इन नियमों के भाग IV में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग V में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा; और

(ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या अस्थायी स्थानांतरण द्वारा।

बशर्ते कि:

(i) यदि बोर्ड सरकार के परामर्श से संतुष्ट हो जाता है कि किसी विशेष वर्ष में भर्ती की किसी भी पद्धति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्धारित अनुपात में छूट देते हुए दूसरी पद्धति द्वारा नियुक्ति उसी तरीके से की जा सकेगी, जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है।

(iii) नियम 5 के अंतर्गत न आने वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अनुसूची में शामिल पदों पर तदर्थ या स्थानापन्न या अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और जो इन नियमों के लागू होने की तिथि को कम से कम एक वर्ष तक लगातार ऐसे पदों पर रहे हैं, उनकी उपयुक्तता का निर्णय नियम 26 में निर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास नियमों में सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता हो या वह निर्धारित योग्यता हो जिसके आधार पर व्यक्तियों का चयन तदर्थ/स्थानापन्न अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के लिए किया गया हो। यह प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:-

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति उस पद से उच्चतर पद के लिए स्क्रीनिंग का हकदार नहीं होगा जिस पर उसकी प्रारंभिक नियुक्ति हुई थी, यदि उससे वरिष्ठ किसी निचले पद पर कार्यरत व्यक्ति, जिसने उस पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ पूरी की हों, को या तो ऐसी तदर्थ नियुक्ति नहीं दी गई हो या वह इस नियम के अंतर्गत स्क्रीनिंग का हकदार न हो। इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठता पद पर निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) इन नियमों के अधीन स्क्रीनिंग द्वारा उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नियुक्त समिति, भर्ती की सामान्य पद्धतियों के अपवाद के रूप में या सेवा के प्रारंभिक गठन के रूप में,

अनुग्रहपूर्वक अनुशंसा कर सकती है, यदि किसी कर्मचारी ने किसी पद पर, जिसके लिए उसकी स्क्रीनिंग की जानी है, तीन वर्ष से अधिक सेवा की है और वह उपयुक्त नहीं पाया जाता है और यदि उसके बाद उसे आमेलन द्वारा दिए जा रहे ऐसे निम्नतर पद के लिए निम्नतर पद पर नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है और तत्पश्चात् ऐसे कर्मचारी को अधिशेष कर्मचारी माना जाएगा और ऐसे कर्मचारी को समिति की अनुशंसा पर निम्नतर पद पर ऐसी शर्तों के अधीन आमेलित किया जा सकता है, जो उसके द्वारा निर्धारित की जाएं।

टिप्पणी: नियम 6 के परन्तुक (iii) के अधीन स्क्रीनिंग का प्रावधान प्रथम चरण माना गया है तथा स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रिक्तियां समाप्त होने के पश्चात, सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा पर ध्यान दिए बिना, सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा लागू किया जाएगा।

(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आपातकाल के दौरान सेना/वायु सेना/नौसेना में शामिल होने वाले व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जाए।

18. आवेदन आमंत्रित करना: सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन देकर तथा रोजगार कार्यालय को इसकी सूचना देकर या

अन्य किसी तरीके से, जिसे उचित समझा जाए, आमंत्रित किया जाएगा।

25. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन. (1) नियम 19 के अधीन जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अधीन रहते हुए तथा अनुसूचियों में सम्मिलित पदों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो नियम 23 के अधीन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हों।

बशर्ते कि सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित करने से उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे आवश्यक समझा जाए, संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिए, बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 23 के अधीन तैयार की गई सूची में से योग्यता क्रम में अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध, बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित साक्षात्कार के परिणाम की अंतिम घोषणा से पूर्व बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी को उनके द्वारा सूचित की गई रिक्तियों की संख्या तक अभ्यर्थियों का चयन कर सकेगा।

(2) यदि उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत चयनित और किसी विशेष वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध इन नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित पद पर नियुक्त व्यक्ति, जिसके लिए इन नियमों के अनुसार बोर्ड / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया गया था, उस स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उक्त रिक्तियों को नई रिक्ति माना जाएगा।

36.6 कि 1993 के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवारों की पात्रता, कट-ऑफ और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अंतिम निर्णय बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। तदनुसार, इस मामले में प्रतिवादियों ने उम्मीदवारों की जाँच की है, उनकी योग्यताएँ निर्धारित की हैं और उसी के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया है, जो आज तक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। 1993 के नियम 22 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“22. आवेदन की जांच। नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच करेगा और इन नियमों और विनियमों के तहत नियुक्ति के लिए योग्य उतने ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा, जितने उसे वांछनीय लगें:

बशर्ते कि किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा।

36.7 आरपीएससी 3600/- रुपये या उससे कम ग्रेड वेतन वाले पदों पर भर्ती नहीं कर सकता। हालाँकि, इस मामले में भर्ती प्रक्रिया एल-12 और एल-10 वेतन बैंड में 4800/- रुपये से

3600/- रुपये तक के ग्रेड वेतन वाले 114 पदों के लिए थी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उक्त भर्ती प्रक्रिया न तो आरपीएससी और न ही आरएसएसबी द्वारा संचालित की जा सकती है। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा प्रख्यापित 1993 के नियमों और विनियमों में संबंधित पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था।

36.8 याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं तथा संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत कट-ऑफ अंकों से बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं।

36.9 कि इस न्यायालय के निर्देशों (दिनांक 31.07.2023 के आदेश के अनुसार) के अनुपालन में, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में फाइल संख्या एफ.आई. (9) एनवी/15/भाग-II के साथ-साथ ई-फाइल 00305 जो एक डमी फाइल है, प्रस्तुत की गई और उसका विश्लेषण किया गया।

झ. चर्चाएँ और निष्कर्ष

I) क्या बोर्ड को 1993 के नियमों के नियम 18 के अंतर्गत प्रतिवादी-आईबीपीएस को परीक्षा संचालन प्राधिकारी नियुक्त करने और शक्तियाँ सौंपने का अधिकार था? क्या उक्त कार्रवाई वैध और कानूनी है?

37. प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् 1993 के नियमों और विनियमों के मात्र अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बोर्ड, उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, सीधी भर्ती के

अनुसार भर्ती करने, अपनी शक्तियाँ सौंपने और भर्ती का संचालन करने का विशेषाधिकार और अधिकार क्षेत्र रखता है। फिर भी, उक्त नियमों के नियम 2(ख), 6 और 18, सीधी भर्ती की प्रक्रिया की पुष्टि करते हैं और उसे लागू करने का प्रावधान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सेवा में पदों पर सीधी भर्ती प्रदान करने के लिए, 1993 के नियम 18 की आवश्यकताओं के अनुसार, बोर्ड समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन देकर और रोजगार कार्यालय को इसकी सूचना देकर या 'ऐसे किसी भी तरीके से जिसे उचित समझा जाए' पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

38. इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों का नियम 19, 1993 के नियमों और विनियमों के नियम 18 के अंतर्गत उल्लिखित सूचना की विषय-वस्तु का प्रावधान करता है। 1974 के अधिनियम की धाराएँ 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती हैं। नियम 18, 30.03.1993 की मूल अधिसूचना के अनुसार विद्यमान है और 01.04.2010 की संशोधन अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

39. नियमों की योजना से यह स्पष्ट है कि बोर्ड निर्धारित तरीके से प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए बाध्य है और आगे के लिए यह भर्ती/चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी को नियुक्त करने सहित अन्य तरीकों का विज्ञापन कर सकता है।

40. अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब सदस्य सचिव की अध्यक्षता में नियम एवं विनियम 1993 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार एक समिति गठित हो जाती है, तो प्रतिवादी-आईबीपीएस के माध्यम से सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था वैध एवं त्रुटिहीन है।

II) क्या प्रतिवादी-आईबीपीएस की नियुक्ति करके एकल स्रोत खरीद के लिए आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31 (एच) के तहत शक्तियों का उपयोग करना सही था?

41. उक्त मुद्दे पर टिप्पणी करने से पूर्व, सुविधा के लिए आरटीपीपी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान को नीचे दोहराया जा रहा है:

“31. एकल स्रोत खरीद.- (1) एक खरीद करने वाली इकाई एकल स्रोत खरीद की विधि द्वारा खरीद की विषय-वस्तु को खरीदने का विकल्प चुन सकती है, यदि

क) XXXX

ख) XXXX

ग) XXXX

घ) XXXX

च) XXXX

छ) XXXX

ज) XXXX

ज) खरीद की विषय-वस्तु ऐसी प्रकृति की है जिसके लिए खरीद करने वाली संस्था को गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे परीक्षा पत्रों की छपाई...

42. दलीलों के दौरान, कोई भी ठोस दस्तावेज़ रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है जो यह स्पष्ट करता हो कि खुली प्रतिस्पर्धी बोली की बजाय एकल स्रोत खरीद को क्यों प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, बोली लगाने वाले के साथ सद्भावनापूर्वक की गई बातचीत से संबंधित दस्तावेज़ों का भी

उल्लेखनीय अभाव है। इसके अलावा, 31.03.2023 का परिपत्र, मानक बोली प्रक्रियाओं से विचलन को कथित रूप से उचित ठहराने वाले असाधारण, आकस्मिक परिस्थितियों और प्रशासनिक कारणों को उचित ठहराने और उनका समाधान करने में विफल रहा है।

43. आरटीपीपी अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, सार्वजनिक रोजगार को विनियमित करने और पारदर्शिता, निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ; सभी बोलीदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आरटीपीपी अधिनियम, 2012 तैयार किया है। अधिनियम की धारा 3 (2) (डी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोर्ड यहां "खरीद इकाई" के दायरे में आता है।

3. आवेदन- (1) यह अधिनियम उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी उपापन संस्थाओं पर लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "खरीद करने वाली इकाई" का अर्थ है,-

क) XXXX

ख) XXXX

ग) XXXX

(घ) राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई निकाय...."

44. तत्पश्चात, आरटीपीपी अधिनियम की धारा 2, 20 और 31(एच) के प्रावधानों पर विचार करते समय, यह ध्यान देने योग्य है कि 'सेवा' में 'खरीद करने वाली संस्था' द्वारा की गई किसी

व्यक्ति की नियुक्ति शामिल नहीं होगी। आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31(एच) के अनुसार खरीद का तरीका तभी स्वीकार्य हो सकता है जब संभावित बोलीदाता के पास विषय-वस्तु के संबंध में अनन्य अधिकार हो, कोई अचानक अप्रत्याशित घटना घट जाए जिसके लिए तत्काल आवश्यकता हो। हालाँकि, जब मुख्य निविदा पहले से ही विचाराधीन/उपलब्ध हो और मौजूदा अनुबंध के विरुद्ध अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा शामिल हो या विषय-वस्तु गोपनीय प्रकृति की हो, तभी एकल स्रोत खरीद पद्धति का उपयोग किया जा सकता है।

45. ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, इस मामले में न तो खरीददारी करने वाली संस्था द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित कोई खरीददारी थी और न ही परीक्षा पत्रों की छपाई से संबंधित कोई खरीददारी थी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच किया गया समझौता ज्ञापन पूरी भर्ती/चयन परीक्षा के संचालन से संबंधित था। इसी प्रकार, परीक्षा पत्रों की छपाई से संबंधित कोई अनुबंध या बोली निष्पादित नहीं की गई थी।

46. यदि एक क्षण के लिए भी यह मान लिया जाए कि एकल स्रोत खरीद वैध थी, तो भी आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 17 के प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। आरटीपीपी अधिनियम की धारा 17, एकल स्रोत खरीद पोर्टल से बोली आमंत्रण, बातचीत और प्रामाणिकता प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाती है। हालाँकि, उपर्युक्त प्रक्रिया के बिना एकल स्रोत खरीद शुरू नहीं की जा सकती। उक्त नियम नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“17. एकल स्रोत से खरीद.- (1) धारा 31 की उपधारा (1) में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, कोई खरीद करने वाली इकाई एकल स्रोत से खरीद की पद्धति से विषय-वस्तु की खरीद कर सकती है, यदि-

(क) परामर्शदाता या पेशेवर की सेवाएं अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए तथा प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक किराये पर लेना आवश्यक है, जो राज्य सरकार के विभागों या उसके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन है और अन्य सभी खरीद संस्थाओं के मामले में सीमा से ऊपर प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये होगी, जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन है; या

(ख) खरीद की विषय-वस्तु का मूल्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(2) एकल स्रोत खरीद की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(क) उपार्जन इकाई, एकल संभावित बोलीदाता से बोली आमंत्रित करेगी और यदि उपार्जन का मूल्य एक लाख रुपये या उससे अधिक है, तो उसे राज्य लोक उपार्जन पोर्टल पर बोली आमंत्रण भी प्रदर्शित करना होगा। उपार्जन इकाई, यदि उसकी राय में उपार्जन की विषय-वस्तु धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ड) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है, तो उसे राज्य लोक उपार्जन पोर्टल पर बोली आमंत्रण प्रदर्शित नहीं करना होगा।

(ख) क्रयकर्ता संस्था बोलीदाता के साथ सद्भावनापूर्वक बातचीत कर सकती है।

(ग) एकल स्रोत का चयन खरीद करने वाली इकाई या किसी अन्य खरीद करने वाली इकाई के साथ खरीद की विषय-वस्तु के लिए सूचीबद्ध/पंजीकृत बोलीदाताओं की सूची में से किया जा सकता है, जहां खरीद करने वाली इकाई धारा 19 की उप-धारा (5) के अनुसार अन्य खरीद करने वाली इकाई के पंजीकृत बोलीदाताओं की सूची का उपयोग

करती है या अन्य विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से पहचाने गए उपयुक्त बोलीदाताओं का उपयोग करती है। (घ) एकल स्रोत खरीद के मामले में बोली सुरक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी।

(ई) इस नियम में अन्यथा प्रावधानित के अलावा तथा अध्याय-1/ के पूर्व अर्हता कार्यवाही, बोली सुरक्षा, समाचार पत्रों में बोली आमंत्रण सूचना का प्रकाशन, बोली दस्तावेजों की कीमत, बोली दस्तावेजों की बिक्री, बोली-पूर्व स्पष्टीकरण, बोलियों का बहिष्कार, राजस्थान के बाहर और राजस्थान में स्थित फर्मों की दरों की तुलना, मूल्यांकन में कीमत/क्रय वरीयता तथा पुरस्कार के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के बीच मात्राओं का विभाजन से संबंधित प्रावधानों के अलावा, अध्याय-1/ के अन्य सभी प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, किन्तु उप-नियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों में निष्पादन सुरक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आपात स्थिति में, उपार्जन की विषय-वस्तु अधिकतम दरों तक उपार्जित की जा सकेगी। निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति, पिछले छह महीनों के दौरान प्राप्त दरों या प्रचलित बाजार दरों के विश्लेषण के आधार पर उपार्जन की विषय-वस्तु के लिए अधिकतम दरें निर्धारित करेगी, अर्थात्:-

(क) जिला कलेक्टर - अध्यक्ष

(ख) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य

(ग) कोषागार अधिकारी - सदस्य सचिव

(घ) विशेष आमंत्रित, यदि आवश्यक हो - सदस्य”

47. इसी विषय में यह भी ध्यान देने योग्य है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त भी सरसरी तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि उनमें कोई एजेंडा, क्रमांक या अपनाए गए औचित्य का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। फिर भी, कार्य संचालन और

निष्पादन के नियमों का उल्लंघन किया गया। प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई से प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि आईबीपीएस की नियुक्ति, आरटीपीपी अधिनियम और संबद्ध प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, खामियों को छिपाने का एक सरासर प्रयास है।

III) क्या दिनांक **04.10.2023** का समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से स्वीकार्य है?

48. दिनांक 04.10.2023 के उक्त समझौता ज्ञापन के मात्र अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इसे स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त दस्तावेज़ स्टाम्प अधिनियम, 1899, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची क्रम संख्या 5 के साथ पठित, समझौते और समझौतों के ज्ञापन 'लिखतों' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और अब से अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के साथ निष्पादित किए जाने योग्य हैं या राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य नहीं माने जाएंगे। संबंधित प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“3. शुल्क से प्रभार्य उपकरण - इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित उपकरण क्रमशः उचित शुल्क के रूप में अनुसूची में इंगित राशि के शुल्क के साथ प्रभार्य होंगे, अर्थात्, -

(क) उस अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित न की गई हो, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात राज्य में निष्पादित की जाती है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित न की गई हो, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में स्थित किसी संपत्ति से, या राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है:

बशर्ते कि निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा, - (i) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित कोई लिखत, ऐसे मामलों में जहां, यदि यह छूट न होती तो, सरकार ऐसी लिखत के संबंध में प्रभार्य शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होती;

(iii) किसी जहाज या जलयान, या मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 44) के तहत पंजीकृत किसी जहाज या जलयान के किसी भाग, हित, शेयर या संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान के लिए कोई भी उपकरण, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या बंधक के रूप में हो या अन्यथा, जैसा कि बाद के अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया हो।

49. यह निर्विवाद है कि उक्त समझौता ज्ञापन के पक्षकार, अर्थात् आरएसपीसीबी और आईबीपीएस, के पास एक शानदार कानूनी टीम और वकील हैं जिन्होंने उक्त समझौता ज्ञापन को 04.10.2023 को तैयार और स्पष्ट किया, जबकि परीक्षा, जो कि मूल विषयवस्तु है, एक दिन बाद 05.10.2023 को विज्ञापित की गई थी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त समझौता ज्ञापन के अधोहस्ताक्षरी पक्षों ने आरटीपीपी अधिनियम की शर्तों और शासकीय स्टाम्प अधिनियम(ओं) के प्रावधानों के अनुसार ही बातचीत की होगी।

50. अतः उक्त समझौता ज्ञापन को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें स्टाम्प अधिनियम, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

IV) क्या सीधी भर्ती की तत्काल चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी तरीके से संचालित की गई है, जिसमें कोई कानूनी दुर्भावना नहीं है?

51. यद्यपि वर्तमान निर्णय के पैरा संख्या 37 से 40 में उल्लिखित चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में सीधी भर्ती वैध है; प्रतिवादियों ने बिना कोई औचित्य बताए भर्ती एजेंसियों/परीक्षा संचालन प्राधिकारियों जैसे आरपीएससी, आरएसएसबी, एमएनआईटी और अन्य एजेंसियों को बाहर कर दिया है।

52. कानूनी मिसालें इस बात की पुष्टि करती हैं कि निष्पक्ष और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का अधिकार मौलिक है, चाहे किसी व्यक्ति का स्कोर कुछ भी हो। एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है और जनता का विश्वास बढ़ाती है। किसी भी भर्ती परीक्षा का अंतिम लक्ष्य निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षित योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना है।

53. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादियों ने कानून की स्थापित स्थिति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) के आदेश में दिए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया है।

54. तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादियों ने बिना सोचे-समझे उक्त चयन प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा कर लिया और यह कानून में दुर्भावना तथा आर.टी.पी.पी. अधिनियम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद प्रतिवादियों द्वारा

कोई आपत्ति नहीं की गई, और यदि विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, तो भी कोई उचित तर्क और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, प्रतिवादी हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) और रामजीत सिंह कर्दम (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, तथ्यों के कुछ विवादित प्रश्न हैं जिन पर इस न्यायालय द्वारा, एक रिट न्यायालय के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रारंभिक मोड़ पर विचार नहीं किया जा सकता है।

V) क्या याचिकाकर्ताओं को विबंधन, छूट और मौन स्वीकृति के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? क्या खेल के नियम बदले जा सकते हैं?

55. यह ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी ने उन्हें यह तथ्य बताने से रोक दिया कि उक्त परीक्षा किस परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अलावा, जब पात्रता मानदंड, जैसे कट-ऑफ तिथियां, अंक आदि, उचित समय पर प्रकाशित नहीं किए गए, तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभ्यर्थी-याचिकाकर्ता उक्त अनियमितताओं का आरोप लगाने से रोके जाएंगे। इसलिए, इस मामले में न तो विबंधन का सिद्धांत और न ही मौन स्वीकृति का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, क्योंकि विवादित विज्ञापन, प्राधिकारियों के आचरण और अब तक दिए गए तर्कों से यह धारणा बनी है कि वर्तमान चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित नहीं की गई थी, जिससे परीक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को छिपाया गया।

56. उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में, रामजीत सिंह कर्दम (सुप्रा) में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा किया जाता है:

“39. उपर्युक्त प्रस्तावना इस न्यायालय के अन्य निर्णयों में दोहराई गई है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। वर्तमान मामले में, क्या प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं को चयन को चुनौती देने से रोका गया है? मामले के

तथ्यों पर ध्यान देते हुए, हमने ऊपर उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने विज्ञापन दिनांक 28.07.2006 संख्या 6/2006 के अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत किए थे। विज्ञापन में, यह प्रावधान किया गया था कि आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करके या आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। आयोग ने 28.12.2006 को उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के मानदंड प्रकाशित किए। 28.12.2006 के नोटिस में यह प्रावधान था कि पीटीआई के पद के लिए 21.01.2007 को 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। 45% और 25% अंक वाइवा वॉयस के लिए निर्धारित किए गए थे। उपरोक्त मानदंड लागू किए गए थे और लिखित परीक्षा 21.01.2007 को आयोजित की गई थी, जो लिखित परीक्षा में कदाचार की शिकायतों का हवाला देते हुए रद्द कर दी गई थी। आगे नोटिस दिनांक 11.06.2008 को पहले से अधिसूचित मानदंडों के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए 20.07.2008 तय करने के लिए प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा होने से पहले, 30.06.2008 की सार्वजनिक सूचना द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। 11.07.2008 की एक और सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी, जहां आयोग ने प्रत्येक श्रेणी में प्राप्त न्यूनतम वेटेज के साथ विज्ञापित पद के आठ गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का फैसला किया था। उक्त शॉर्टलिस्टिंग को भी 31.07.2009 की सूचना द्वारा छोड़ दिया गया था जब सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया था। आयोग ने साक्षात्कार के लिए कोई मानदंड या अंक प्रकाशित नहीं किए। आयोग द्वारा दिनांक 28.12.2006, 11.06.2008 और 11.07.2008 को प्रकाशित मानदंडों को क्रमशः त्याग दिया गया और साक्षात्कार के लिए कोई मानदंड प्रकाशित नहीं किया गया, जो 2 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2008 तक होने वाला था। जब आयोग ने चयन प्रक्रिया के लिए

उम्मीदवारों के आधार पर कोई मानदंड प्रकाशित नहीं किया था और उम्मीदवारों ने चयन के मानदंडों को जाने बिना ही चयन में भाग लिया, तो उन्हें चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता, जब अंततः उन्हें पता चला कि आयोग ने चयन में योग्यता को चरणबद्ध तरीके से कमजोर किया है। जब अभ्यर्थी को चयन के उन मानदंडों की जानकारी नहीं होती जिनके तहत उसे प्रक्रिया में शामिल किया गया और उक्त मानदंड पहली बार 10.04.2010 के अंतिम परिणाम के साथ प्रकाशित किया जाता है, तो उसे चयन के मानदंडों और चयन की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा जब पहले अधिसूचित लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया और प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिससे साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने की निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया, वह भी केवल आयोग के अध्यक्ष द्वारा, जबकि चयन के मानदंडों के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा लिया जाना है, अभ्यर्थियों को इस प्रकार आयोजित पूरी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। इस न्यायालय ने राज कुमार एवं अन्य बनाम शक्ति राज एवं अन्य: (1997) 9 एससीसी 527 में यह माना कि जब अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधताएं की गई हैं, तो आचरण या मौन स्वीकृति द्वारा रोक का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

16. ...पूरी प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से अवैध है। यह सच है, जैसा कि श्री माधव रेड्डी ने तर्क दिया है, कि इस न्यायालय ने मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (1995) 3 एससीसी 486 और उसमें संदर्भित अन्य निर्णयों में यह माना था कि एक उम्मीदवार जिसने साक्षात्कार में उपस्थित होने का मौका लिया है और असफल रहा है, वह पीछे मुड़कर चयन बोर्ड के गठन या चयन की पद्धति को अवैध होने पर चुनौती नहीं दे सकता है; उसे चयन की शुद्धता पर सवाल उठाने से रोक दिया गया है।

लेकिन उनके मामले में, सरकार ने 1955 के नियमों के तहत परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को लाने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से अवैधताएं की हैं, साथ ही चयन की पद्धति और बोर्ड के दायरे से बाहर करने की शक्ति के प्रयोग और नियमों के अनुसार चयन का संचालन भी किया है। इसलिए, आचरण या मौन स्वीकृति द्वारा रोक का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि सरकार या समिति द्वारा अपनाई गई 1955 के नियमों के तहत प्रस्तावित प्रक्रिया तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई कानून की दृष्टि से सही नहीं है।

40. इस न्यायालय का एक और निर्णय, जो उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, वह है बिष्णु विश्वास एवं अन्य, भारत संघ एवं अन्य: (2014) 5 एससीसी 774। समूह घ के कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भर्ती नियमों में केवल अधिकतम 50 अंकों वाली एक लिखित परीक्षा का प्रावधान था। लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि इस तरह का साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, फिर भी एक चयन सूची प्रकाशित की गई थी जिसे न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह से साक्षात्कार में उम्मीदवारों को अंक दिए गए थे, उससे पारदर्शिता की कमी का संकेत मिलता है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के तर्क को बरकरार रखा लेकिन भर्ती प्रक्रिया को उस बिंदु से जारी रखने की सीमा तक आदेश को संशोधित किया जहां से यह दूषित हो गया था।

19. वर्तमान मामले में, खेल के नियम लिखित परीक्षा के बाद बदले गए थे, न कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के चरण में। मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक लिखित परीक्षा के समान ही थे, अर्थात्

प्रत्येक के लिए 50%। साक्षात्कार में उम्मीदवारों को जिस तरह से अंक दिए गए, उससे पारदर्शिता की कमी का संकेत मिलता है। जिस उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में 50 में से 47 अंक प्राप्त किए थे, उसे साक्षात्कार में केवल 20 अंक दिए गए थे, जबकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार में लिखित परीक्षा के बराबर अंक मिले थे। जिस उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में 34 अंक प्राप्त किए थे, उसे साक्षात्कार में 45 अंक दिए गए थे। इसी तरह, एक अन्य उम्मीदवार जिसने लिखित परीक्षा में 36 अंक प्राप्त किए थे, उसे साक्षात्कार में 45 अंक दिए गए थे। यह तथ्य कि आज तथाकथित चयनित उम्मीदवार नौकरी में नहीं हैं, मामले को अंतिम रूप से तय करने के लिए एक प्रासंगिक कारक भी है। यदि पूरे चयन को रद्द कर दिया जाता है तो अधिकांश उम्मीदवार कम से कम उम्र के संबंध में अयोग्य हो जाएंगे क्योंकि विज्ञापन छह साल से अधिक समय पहले जारी किया गया था।

20. इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, चयन प्रक्रिया को उसी बिंदु से जारी रखने के उच्च न्यायालय के निर्देश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जहाँ से यह प्रक्रिया दूषित हो गई थी। उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलें निराधार हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई खर्च नहीं।

41. उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपने इस निष्कर्ष पर सही है कि चयन मानदंड, जो चयन परिणाम की घोषणा के साथ ही प्रकाश में आ गया था, असफल उम्मीदवारों द्वारा उसके प्रकाशित होने के बाद ही चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार, जिस चयन प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया था उसका कभी पालन नहीं किया गया और जिन चयन मानदंडों का पालन किया गया था उन्हें अंतिम परिणाम की घोषणा तक कभी अधिसूचित नहीं किया गया, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को चयन को चुनौती देने से नहीं

रोका जा सकता है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को एस्टोपल के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था और रिट याचिकाकर्ता आयोग द्वारा लागू चयन मानदंडों को चुनौती दे सकते थे, जिन्हें आयोग ने अंतिम परिणाम की घोषणा के समय ही घोषित किया था। इस प्रकार, हम बिंदु संख्या 1 और 2 का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(i) रिट याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने चयन में भाग लिया था, को वर्तमान मामले के तथ्यों में चयन को चुनौती देने से नहीं रोका गया है।

(iii) रिट याचिकाकर्ता चयन के मानदंडों को चुनौती दे सकते थे, जिसे आयोग ने 10.04.2010 को घोषित अंतिम परिणाम में ही घोषित किया था।

54. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आयोग के अध्यक्ष द्वारा 30.06.2008 को लिखित परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय "प्रशासनिक कारणों" से लिया गया बताया गया था, लेकिन आयोग द्वारा "प्रशासनिक कारण" क्या थे, इसका कभी खुलासा या अभिलेखीकरण नहीं किया गया। 28.06.2006 को अधिसूचित चयन प्रक्रिया में परिवर्तन का निर्णय एक बड़ा निर्णय था, जिससे न केवल वे आवेदक प्रभावित हुए जिन्हें 28.12.2006 को अधिसूचित मानदंडों के आधार पर चयन में भाग लेना था, बल्कि पीटीआई के 1983 पदों के लिए तैयार की गई योग्यता चयन प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

55. दिनांक 20.07.2006 के विज्ञापन के अनुसार, आयोग ने 28.12.2006 को चयन के लिए मानदंड प्रकाशित किए थे, जिन्हें लागू भी किया गया था, इसलिए, बीच में ही मेरिट चयन को छोड़ने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, जब दिनांक 30.06.2008 के निर्णय में तथाकथित 'प्रशासनिक कारणों' के समर्थन में कोई कारण सामने नहीं आया, जिसे लिखित परीक्षा को रद्द करने के लिए अध्यक्ष द्वारा कहा गया

था, तो हमें उक्त निर्णय को मनमाना और बिना कारण के मानना होगा। लिखित परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिनमें से 60 प्रश्न संबंधित विषयों के शैक्षणिक ज्ञान से संबंधित थे, जिसमें शिक्षण क्षमता का कौशल और विधि शामिल थी और 40 प्रश्न मैट्रिक स्तर तक के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित थे, यह अच्छी तरह से सोचा गया स्क्रीनिंग टेस्ट था, संचालन करने में आसान और मूल्यांकन करने में आसान था। भर्ती निकाय होने के नाते आयोग ने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के अपने दायित्व को त्याग दिया; प्रतियोगी परीक्षा, साधन हैं जिसके द्वारा अवसर की समानता को दक्षता के साथ जोड़ा जाना था। उपर्युक्त विधि से पक्षपात को बाहर रखा जाना था और नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सुरक्षित करने का लक्ष्य हासिल किया जाना था। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लिखित परीक्षा आयोजित न करने का 30.06.2008 का निर्णय और इसके परिणामस्वरूप उठाए गए कदम सभी मनमाने फैसले थे, जो कानून में टिक नहीं सकते।

57. हमारा मानना है कि चयन के मानदंडों में बदलाव आयोग द्वारा कभी अधिसूचित नहीं किया गया था और चयन प्रक्रिया में बदलाव के बारे में उम्मीदवारों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था और पहली बार चयन प्रक्रिया में लागू मानदंडों को 10.04.2008 के परिणाम के साथ प्रकाशित किया गया था, रिट याचिकाकर्ताओं को इस तरह लागू किए गए मनमाने मानदंडों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है। श्री सिब्बल का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कभी भी उन मानदंडों पर सवाल नहीं उठाया है जो 28.12.2006 को प्रकाशित किए गए थे, यानी 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 25 अंकों की वाइवा वॉयस, केवल इसलिए कि उन्होंने मानदंडों में बदलाव के बाद चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, मनमाने बदलाव को चुनौती देने का उनका अधिकार नहीं खोया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को मानदंडों में बदलाव को चुनौती

देने से रोकना, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष द्वारा किए गए मनमाने बदलावों पर मुहर लगाना होगा।

(जोर दिया गया)

57. फिर भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी-आईबीपीएस को परीक्षा आयोजित करने में विशेषज्ञता प्राप्त है और वह ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। प्रतिवादी आरएसपीसीबी और प्रतिवादी-आईबीपीएस के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मुख्यतः निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षरित किया गया था:

57.1 उक्त परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जानी थी और इसके लिए तत्काल समझौता ज्ञापन और आईबीपीएस की मानक प्रक्रिया आदर्शवादी थी।

57.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार उक्त विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती निर्धारित समय के भीतर की जानी थी।

57.3 यह कि आईबीपीएस ने पहले ही आर.वी.यू.एन, आर.वी.पी.एन, जे.वी.वी.एन, ए.वी.वी.एन और अन्य के लिए सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित की थीं।

57.4 यह कि एम.एन.आई.टी. ने आर.एस.पी.सी.बी. द्वारा भेजे गए दिनांक 29.06.2022 के पत्राचार का उत्तर नहीं दिया है और आर.पी.एस.सी. अपने कैलेंडर के अनुसार उक्त तिथियों पर उपलब्ध नहीं था।

57.5 वेतनमान मैट्रिक्स जिसके आधार पर आर.पी.एस.सी. द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, प्रतिवादी-आर.एस.पी.सी.बी. द्वारा अपेक्षित अपेक्षाओं से मेल नहीं खा सकता है।

57.6 यह कि उक्त नियुक्ति आर.टी.पी.पी. अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार एकल स्रोत खरीद के आधार पर की गई थी।

57.7 यह कि उक्त समझौता ज्ञापन को अंतिम स्वीकृति के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों अर्थात् वित्त विभाग को भेजा गया था और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रतिवादी-आईबीपीएस को नियुक्त किया गया।

58. आई.बी.पी.एस. ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे जिलों सहित विभिन्न केंद्रों पर दिनांक 09.01.2024 को उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। 22.02.2024 और 24.02.2024 के बीच परिणाम जारी किए गए और तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन दिनांक 29.02.2024 को निर्धारित किया गया। उक्त समय-सीमा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया अत्यंत सावधानी के साथ आयोजित की गई थी; हालाँकि इसे अत्यधिक जल्दबाजी में संपन्न किया गया था, संभवतः किसी भी प्रश्नपत्र या महत्वपूर्ण गोपनीय डेटा के लीक होने से बचाने के लिए।

59. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या **2634/2013**, जिसका शीर्षक तेज प्रकाश एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य तथा मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 3 एससीसी 512 में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है; जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित परीक्षा/भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद खेल के नियमों को बदला नहीं जा सकता।

60. यहां ऊपर उल्लेखित टिप्पणियों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता और याचिकाओं का तत्काल समूह एस्टोपल, छूट और स्वीकृति के सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता-अभ्यर्थियों ने उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा

खटखटाया था और याचिकाकर्ताओं के आचरण में कोई चूक नहीं पाई गई है जो उन्हें रोकती/रोकती हो।

61. यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब परीक्षा प्राधिकरण कोई मानदंड प्रकाशित करने में विफल रहा है, तो अभ्यर्थियों को वैध उम्मीद थी कि प्रतिवादी भर्ती परीक्षा आयोजित करने की स्थापित स्थिति का पालन करेंगे। अतः अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है और उन्हें एस्टोपल के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। उक्त दृष्टिकोण को प्रमाणित करने के लिए यह न्यायालय मीता सहाय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, जो सिविल अपील संख्या **9482/2019** के रूप में पंजीकृत है, में दिए गए निर्णय दिनांक 17.12.2019 पर भरोसा करना उचित समझता है।

सहायक निष्कर्ष

62. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त समझौता ज्ञापन और परीक्षा संचालन प्राधिकरण के रूप में आईबीपीएस की नियुक्ति उनके संज्ञान में अपेक्षाकृत विलम्ब से लाई गई। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि उक्त समझौता ज्ञापन पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, स्टाम्प अधिनियम, 1899 और राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत स्टाम्प नहीं लगाया गया था।

63. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंदोपाध्याय, जो सिविल अपील संख्या **6454/2011** के रूप में पंजीकृत है, में पारित दिनांक 09.08.2011 के निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है, जिसमें यह माना गया था कि आरटीआई अधिनियम का दायरा सार्वजनिक रोजगार के प्रश्न पत्रों पर लागू किया जाएगा।

64. इस प्रारंभिक मोड़ पर, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दों तथा किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के दौरान अपनाए जाने वाले मानकों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) में प्रतिपादित अनुपात पर भरोसा करना उचित समझता है।

“20. जहां तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत उनके आवेदन के संबंध में आपत्ति का संबंध है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि लिखित परीक्षा के अंक तब तक उपलब्ध नहीं कराए जा सकते जब तक कि चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और यही कारण था जो उन्हें 6 जनवरी, 2020 के संचार द्वारा लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम, 2007 के नियम 4(2) का सहारा लिया गया था और, यदि वह 6 जनवरी, 2020 के संचार से व्यथित हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अंतर्निहित तंत्र प्रदान किया गया है और भले ही अंक उपलब्ध नहीं कराए गए हों, यह किसी भी तरह से प्रतिवादियों द्वारा आयोजित चयन की प्रक्रिया को पराजित नहीं करेगा।

26. पेपर I/ (सामान्य ज्ञान) में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध थे और खंडन हेतु अभिलेख में कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण, यह तर्क मान्य नहीं है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होता है, यह हमेशा सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्न पत्रों के लिए, हमेशा एक ओएमआर शीट होगी जो उम्मीदवारों को प्रदान की जा सकती है ताकि प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा रखा जा सके और परीक्षा आयोजित होने के बाद, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक अनंतिम

उत्तर कुंजी अपलोड की जानी है, जो उचित समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए और ऐसी आपत्तियों को एकत्रित करने के बाद, इसे भर्ती/सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, भर्ती प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी अपलोड की जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए कि परिणाम घोषित करना ही होगा, लेकिन कम से कम अभ्यर्थियों को अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें। यह उन तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा निष्पक्षता और पारदर्शिता, जो सार्वजनिक रोजगार में अनिवार्य है, का सहारा लिया जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

65. इसके अतिरिक्त कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) में निहित उक्ति पर भी भरोसा किया जा सकता है।

“15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्व का प्रश्न उठाते हैं। सामान्यतः, कोई भी व्यक्ति, विशेषकर यदि वह पेपर सेटर और परीक्षक रहा हो, इस दृष्टिकोण से सहमत होगा कि पेपर सेटर द्वारा दिया गया मुख्य उत्तर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सही मान लिया गया हो, को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे हासिल करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को प्रकाशित ही न किया जाए। अगर विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित न किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद नहीं उठता। लेकिन यह उन मामलों को देखने का सही तरीका नहीं है, जिनसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

के इच्छुक सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता तो उपचार बीमारी से भी बदतर होता, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक सुखद स्थिति को उजागर किया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अवश्य निकालना चाहिए। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें अपनी परीक्षा प्रणाली को और करीब से देखने का अवसर दिया है। कंप्यूटर नहीं, बल्कि मानव प्रणाली ही विफल हुई है।”

(जोर दिया गया)

66. इसके साथ ही, रिशाल एवं अन्य (सुप्रा) में निहित उक्ति पर भी भरोसा किया गया है।

“18. प्रश्नपत्र तैयार करने वाले या परीक्षा निकाय द्वारा तैयार किए गए मुख्य उत्तरों को उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाएगा। गलती करना मानवीय स्वभाव है। कई कारक हैं जो गलत मुख्य उत्तरों के निर्माण का कारण बन सकते हैं। मुख्य उत्तरों का प्रकाशन पारदर्शिता लाने और उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर देने की दिशा में एक कदम है। परीक्षा निकाय द्वारा अपलोड किए गए मुख्य उत्तरों पर आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर, प्रक्रिया में निष्पक्षता और पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। मुख्य उत्तरों पर आपत्तियों की जाँच विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए और उसके बाद, यदि कोई सुधारात्मक उपाय हों, तो परीक्षा निकाय द्वारा किए जाने चाहिए। वर्तमान मामले में, हमने पाया है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद, आयोग द्वारा अंतिम मुख्य उत्तर प्रकाशित किए गए, जिसके बाद आयोग द्वारा अपनाए गए मुख्य उत्तरों की सत्यता को चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों के विचारों को

स्वीकार करते हुए चुनौती को खारिज कर दिया। जो अभ्यर्थी अभी भी असंतुष्ट हैं, वे ये अपीलें दायर करके इस न्यायालय में आए हैं।

(जोर दिया गया)

67. उपर्युक्त अनुपातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक रोजगार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से जहां बहुविकल्पीय प्रश्न-उत्तर पद्धति का पालन किया जाता है, उक्त परीक्षा की समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए; अनंतिम/मॉडल उत्तर कुंजी जारी की जानी चाहिए; आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए; विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए और संदिग्ध प्रश्नों के लिए उचित स्पष्टीकरण और औचित्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और उक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जानी चाहिए। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि तकनीकी पहलुओं की आड़ में, उक्त भर्ती प्रक्रिया में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

68. दिनांक 05.10.2023 के विज्ञापन के भाग 'ख' खंड संख्या 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान तत्काल भर्ती प्रक्रिया पर उसके लागू रहने के दौरान लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, यह दिनांक 04.10.2023 के समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार भी लागू होगा। उसी का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी प्रकार की सूचना भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा सकेगी।”

एम.ओ.यू. दिनांक 04.10.2023.

“आईबीपीएस की नीति के अनुसार, परीक्षा के दौरान केवल अभ्यर्थियों के अलावा किसी और को परीक्षा पत्र नहीं बताए जाते। परीक्षा के बाद भी, परीक्षा पत्र किसी के साथ साझा नहीं किए जाते। किसी भी विवाद की स्थिति में, आईबीपीएस पीड़ित अभ्यर्थियों के क्रमवार उत्तर, यदि कोई हों, और उनके सही उत्तर उपलब्ध कराएगा।”

यदि आरएसपीसीबी को आरटीआई अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, तो आईबीपीएस आरएसपीसीबी को जवाब देने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिक्रियाओं का डंप (उम्मीदवार द्वारा चिह्नित उत्तर / केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों / पेपरों के लिए सही उत्तर कुंजी) उपलब्ध कराएगा।

69. यह उल्लेखनीय है कि उप महाप्रबंधक (प्रशासन/कानूनी) द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से प्रतिवादी-आई.बी.पी.एस. ने प्रतिवादी-आर.एस.पी.सी.बी. को दिनांक 12.03.2024 के पत्र (ई-मेल द्वारा प्राप्त) के संदर्भ में अवगत कराया/उत्तर दिया तथा स्वीकार किया कि एम.ओ.यू. तथा आई.बी.पी.एस. की बौद्धिक संपदा की विषय-वस्तु के अनुसार, उक्त परीक्षा संचालन प्राधिकरण अपने पास संग्रहीत डेटा को किसी भी विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक डेटा के अलावा किसी भी प्राधिकरण को प्रदर्शित नहीं करता है। उक्त पत्र के अवलोकन से यह भी पता चला कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “जांच के बाद प्रकाशन या आपत्तियां मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

ट. निष्कर्ष

70. उपर्युक्त के सारांश में यह न्यायालय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को दोहराने का दायित्व लेता है:

70.1 दिनांक 04.10.2023 के समझौता ज्ञापन और दिनांक 13.03.2024 के पत्र के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादियों द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया;

70.2 कि पार्टियों के बीच बनी आम सहमति के अनुसार (दिनांक 04.10.2023 के समझौता ज्ञापन द्वारा), आईबीपीएस को दिनांक 05.10.2023 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती के लिए परीक्षा संचालन प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था (यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त विज्ञापन जारी होने के ठीक एक दिन पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे);

70.3 कि प्रतिवादी-आर.एस.पी.सी.बी. ने उक्त परीक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए आर.पी.एस.सी., आर.एस.एस.बी. या एम.एन.आई.टी. के बजाय आई.बी.पी.एस. को शामिल करने का विकल्प चुना;

70.4 यह कि 1993 के नियमों और विनियमों के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 18 के अनुसार, यहां अपनाई गई भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती थी और यह स्वीकार्य है क्योंकि यह “ऐसे अन्य तरीके से जिसे उचित समझा जाए” के दायरे में आता है;

70.5 प्रतिवादी-आर.एस.पी.सी.बी. आर.टी.पी.पी. अधिनियम की धारा 3 के दायरे में आता है और आर.टी.पी.पी. अधिनियम की धारा 17 और 18 तथा आर.टी.पी.पी. नियमों के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादियों ने बिना कोई औचित्य या प्रशासनिक कारण बताए धारा 31(एच) के तहत एकल स्रोत खरीद शुरू की;

70.6 यह कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिवादी उक्त भर्ती को पूरा करने में जल्दबाजी में थे;

70.7 कि तत्काल भर्ती प्रक्रिया में उचित तरीके अर्थात मॉडल उत्तर कुंजी जारी करना, आपत्तियां आमंत्रित करना, विशेषज्ञ समिति का गठन और अंतिम उत्तर कुंजी जारी करना का पालन नहीं किया गया था, और इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है;

70.8 कि रिट याचिकाकर्ताओं को स्वीकृति, विबंधन और छूट के सिद्धांतों द्वारा वर्जित नहीं किया गया है;

70.9 चूंकि 04.10.2023 का एम.ओ.यू. उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है तथा यह राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1988 की धारा 3 के दायरे में आता है, अतः इसे न्यायालय में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है;

70.10 यद्यपि उक्त परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखी गई, फिर भी हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) में उल्लिखित अनुपात के अनुसार प्रभावी और पारदर्शी तरीके का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, कार्य के नियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309-311 के प्रावधानों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के अनुसार की गई वैध अपेक्षाओं की भी अवहेलना की गई।

70.11 प्रतिवादी-आईबीपीएस ने उप महाप्रबंधक (प्रशासन/विधि) द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 13.03.2024 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी-आरएसपीसीबी को दिनांक 12.03.2024 (ई-मेल द्वारा प्राप्त) के संबंध में अवगत/उत्तर दिया है और स्वीकार किया है कि समझौता ज्ञापन और आईबीपीएस की बौद्धिक संपदा की विषय-वस्तु के अनुसार, उक्त परीक्षा संचालन प्राधिकरण अपने पास संग्रहीत डेटा को किसी भी विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक डेटा के अलावा किसी भी प्राधिकारी को प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

71. इसलिए, पूर्वगामी तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि एक बार नियम और विनियम 1993 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार एक समिति गठित हो जाने पर, प्रतिवादी-आईबीपीएस के माध्यम से सीधी भर्ती की वर्तमान प्रणाली वैध और त्रुटिहीन है; हालांकि परीक्षा संचालन प्राधिकरण के रूप में आईबीपीएस की नियुक्ति वैध है, प्रतिवादियों ने आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 17, आरटीपीपी अधिनियम की धारा 17 और 18 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309-311 के प्रावधानों का पालन न करके; बंद दरवाजों के पीछे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, इसे प्रकाशित किए बिना/निर्धारित अवधि के भीतर इसे सार्वजनिक नोटिस में लाए बिना गलती की है, इसके अलावा, उक्त समझौता ज्ञापन एक अस्वीकार्य साक्ष्य है क्योंकि यह अनुचित रूप से स्टाम्प किया गया है, इसलिए यह राजस्थान स्टाम्प अधिनियम का उल्लंघन है; हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) और रामजीत सिंह कर्दम (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों में तैयार किए गए सलाहकार दिशानिर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन न करके और व्यवसाय और निष्पादन के नियमों को दरकिनार करते हुए, गैर-पारदर्शी और अनुचित तरीके से उक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की; 'प्रशासनिक कारणों' के बारे में अपेक्षित स्पष्टीकरण न देकर, जिसके कारण उक्त भर्ती आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31 (एच) के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी-आरएसपीसीबी आरटीपीपी अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के दायरे में आता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि उक्त भर्ती परीक्षा को समाप्त करने और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की जल्दबाजी में प्रतिवादियों ने थोड़े समय के भीतर लगभग 96 उम्मीदवारों को विवादित प्रश्नों पर कोई आपत्तियां बुलाए बिना नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं।

ठ. निर्देश

72. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विचाराधीन मामला असाधारण स्थितियों में से एक है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने श्रेणियों के अंतर्गत कट-ऑफ अंकों से बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं, आरोप लगाया है कि तत्काल भर्ती प्रक्रिया कानून की स्थापित स्थिति और उस प्रथा के विरुद्ध शुरू की गई और समाप्त हुई जो एक समय से चली आ रही है, इस न्यायालय ने अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि आज की तारीख में विवादित भर्ती परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी है और कई उम्मीदवार अपने-अपने तैनाती स्थलों पर परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे हैं, निम्नलिखित निर्देश लिखना उचित समझा:

72.1 परीक्षा/भर्ती पर्यवेक्षण प्राधिकारी, प्रतिवादी-आर.एस.पी.सी.बी. और प्रतिवादी-आई.बी.पी.एस. को निर्देश दिया जाता है कि वे चयन प्रक्रिया को पूर्णतः विधि के अनुसार और हरकीरत सिंह घुमन (सुप्रा) नामक निर्णय के पैराग्राफ संख्या 26 में दिए गए अनुपात के अनुसार करें। संक्षिप्तता के लिए, उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक अंश/निर्देश नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

26. पेपर I/ (सामान्य ज्ञान) में शामिल सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त थे और खंडन के लिए अभिलेखों में कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण, यह दलील मान्य नहीं है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र हो, यह हमेशा सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्न पत्रों के लिए, हमेशा एक ओ.एम.आर. शीट होगी जो उम्मीदवारों को प्रदान की जा सकती है ताकि प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा रखा जा सके और परीक्षा आयोजित होने के बाद, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक अनंतिम

उत्तर कुंजी अपलोड की जानी है, जो उचित समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए और ऐसी आपत्तियों को एकत्रित करने के बाद, इसे भर्ती/सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, भर्ती प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी अपलोड की जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए कि परिणाम घोषित करना ही होगा, लेकिन कम से कम अभ्यर्थियों को अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें। यह उन तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा निष्पक्षता और पारदर्शिता, जो सार्वजनिक रोजगार में अनिवार्य है, का सहारा लिया जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

72.2 पैराग्राफ संख्या 72.1 में उल्लिखित निर्देश का अनुपालन किया जाएगा और इस निर्णय के पारित होने की तारीख से दो महीने की ऊपरी सीमा के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा।

72.3 जो अभ्यर्थी पहले ही चयनित हो चुके हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित हो चुके हैं और जो परीक्षा प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें वेतन या अन्य लाभों की कोई भी राशि वापस करने की बाध्यता नहीं होगी। उक्त परीक्षा प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। उक्त परीक्षा प्रशिक्षु, यहाँ उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, तत्काल भर्ती का निष्पक्ष परिणाम आने तक, निर्बाध रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की सेवाएँ, इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, तत्काल भर्ती का निष्पक्ष परिणाम आने तक, स्थायी नहीं की जाएँगी।

72.4 उक्त प्रक्रिया के बाद, एक नई योग्यता सूची तैयार की जाएगी और यदि कोई मेधावी छात्र (तत्काल रिट याचिकाकर्ताओं में से) पात्र पाया जाता है तो परिवीक्षा प्रशिक्षुओं को दिए गए लाभ, परिणामी लाभों के साथ पूर्वव्यापी तिथि से नए मेधावी उम्मीदवारों पर लागू किए जाएंगे।

72.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर यहां उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो दिनांक 05.10.2023 के विज्ञापन के सापेक्ष संपूर्ण चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

73. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाओं का निपटारा उपर्युक्त निर्देशों के साथ किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटा दिए जाएंगे।

(समीर जैन),जे

पूजा /162-173

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate